न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय),
जयपुर।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 01ए/2016 (आरसीएमएस संख्या : 2016/00025)

1. रूघनाथ मीणा पुत्र स्व0 श्री श्योनारायण मीणा, जाति–मीणा, नि0–ग्राम ठीकरिया मीणान, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. सूरजमल मीणा पुत्र स्व0 श्री धनतरा मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम ठीकरिया मीणान, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. सीताराम पुत्र स्व0 श्री रतना मीणा, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम ठीकरिया मीणान, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवन्टन) नियम, 1970 विरूद्ध आवन्टन आदेश दिनांक 28.07.1970 तहसीलदार, चाकसू बहक सीताराम पुत्र श्री भूराराम, निवासी–ठीकरिया मीणान आ0ख0न0 178 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरिया मीणान)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामावतार प्रजापति, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 30.09.2019**

ग्राम ठीकरिया–मीणान् की आराजी खसरा नं0 178 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा का दिनांक 28.07.1970 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से तहसीलदार, चाकसू द्वारा सीताराम पुत्र श्री भूराराम, निवासी–ठीकरिया मीणान के हक में आवंटन किया गया, जिसके निरस्तीकरण हेतु दिनांक 10.11.2004 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवन्टन) नियम, 1970 प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर की आज्ञा दिनांक 21.06.2006 द्वारा, आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण आवंटन आज्ञा दिनांक 28.07.1970 को निरस्त किया गया, आज्ञा दिनांक 21.06.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 60/2006 उनवानी सीताराम बनाम रूघनाथ मीणा वगैराह राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने आज्ञा दिनांक 17.01.2011 द्वारा स्वीकार करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 21.06.2006 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करते हुऐ निर्देश दिऐ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तथ्यों की मौके, रिकार्ड तथा वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाकर उभय–पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुऐ विधि सम्मत निर्णय करें। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 17.01.2011 की अनुपालना में तहसीलदार, कोटखावदा को उभय–पक्षों की उपस्थिति में निर्देशानसार रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया जिसके प्रत्युत्तर में तहसीलदार, कोटखावदा की रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/17/2472 दिनांक 26.07.2017 प्राप्त हुई। तहसीलदार, कोटखावदा की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2017 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 27.09.2017 को आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार सुनवाई की जाकर दिनांक 27.09.2017 को आपत्ति अस्वीकार की गई। आपत्ति अस्वीकार किये जाने की आज्ञा दिनांक 27.09.2017 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः नियमानुसार उभय–पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री विजय कुमार शर्मा का कथन है कि आवंटन आज्ञा दिनांक 28.07.1970 विधि–विधान एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी–कब्जे काश्त आराजी के सहारे लगती हुई है, जो कदीम से प्रार्थीगण के खेतों के साथ शामिल रहकर प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में रही है वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कराया है। सीताराम वास्तविक रूप से रतना मीणा का पुत्र है और भूरा मीणा से दूर–दूर तक कोई रिश्ता–वास्ता नहीं है केवल मात्र फर्जी रूप से आवंटन कराऐ जाने की गरज से ही सीताराम पुत्र भूरा मीणा के नाम से राजस्व कारकूनान की मिली–भगत से आवंटन कराया है। भूरा प्रार्थीगण की वंशावली में पूर्वज है। राजस्व–कारकूनान की मिली–भगत से ही गैर–खातेदारी व खातेदारी का नामान्तरकरण खुलवा लिया। सीताराम अपने वास्तविक पिता रतना की मृत्यु पर रतना की खातेदारी आराजी का विरासत का नामान्तरकरण सीताराम ने अपने भाई लादू के साथ स्वयं के नाम भी खुलवाया है। ग्राम ठीकरिया मीणान् में अन्य आराजी क्रय की है उसमें भी सीताराम पुत्र रतना नाम से क्रय की है, इसका नामान्तरकरण भी सीताराम पुत्र रतना के नाम से है। सीताराम ने तथ्यों को छिपा कर गलत तथ्यों के आधार पर बदनियति से कपटपूर्ण तरीके से आ0ख0न0 178 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा का आवंटन कराया है, जो प्रारम्भ से शून्य होने से निष्प्रभावी है, और शून्य आज्ञा के आधार पर

खातेदारी अधिकार श्रृजित नहीं हो सकते है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी भौतिक रूप से कब्जा–काश्त नहीं रहा है और न ही वादग्रस्त आराजी के आसपास अप्रार्थी संख्या 2 की कोई अन्य खातेदारी आराजी है। आवंटन के समय भी वादग्रस्त आराजी खाली नही थी और वास्तविक रूप से प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त था। आवंटन से पूर्व मौके की जांच नहीं की है। आवंटन के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2 ने वास्तविक रूप से कभी वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं की है। आवंटन हेतु आराजी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी सीताराम के पिता की ऊंची पहुंच होने के कारण आपसी मिली–भगत से कागजी आवंटन कराया है, प्रारम्भ से शून्य आवंटन के विरूद्ध निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 28.07.1970 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री रामावतार प्रजापति का कथन है कि आवंटन दिनांक 28.07.1970 विधि के अनुकूल नियमान्तर्गत किया गया है। आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 के हक में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है बल्कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे–काश्त की भूमि रही है और कब्जे के आधार पर ही राजस्व अधिकारियों ने वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 2 के हक में आवंटन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम के पिता रतना का भाई भूरा था जो नाऔलाद था अर्थात उसके कोई संतान नहीं थी और इसी कारण अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम, ताऊ भूरा की सेवा सुश्रूसा करता था स्नेहवश भूरा ने अप्रार्थी संख्या 2 को दत्तक पुत्र रखा था जिसके मरणोपरान्त होने वाले सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार क्रिया–क्रम आदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही किये गये है और तब से लेकर आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी पर निर्बाध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा काश्त की जाती रही है और कब्जा–काश्त की जांच किये जाने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा गैर–खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। नियमानुसार खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात किसी को खातेदारी निरस्त कराये जाने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्राकृतिक पिता का नाम रतना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 को रतना के भाई भूरा द्वारा गोद ले लिये जाने के बाद दत्तक पिता भूरा ही है। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक का यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पितागण सजरा खानदान के अनुसार

3 भाई थे जिनके वंश में वृद्धि नहीं होने के कारण तीनों के मृत्योपरान्त पारिवारिक समझौते के अनुसार शेष रहे वारिसो में सम्पत्तियां हिस्से में आई लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 अनपढ़ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में क्या दर्ज हुआ यह जानकारी नहीं थी। सीताराम पुत्र रतना की बजाय सीताराम पुत्र भूरा करवाकर दुरूस्त नहीं करवा पाया जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है यह मात्र राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि है। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 अपने ताऊ भूरा के पास रहता था और भूमिहीन था इसी कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तथ्यों की जांच कर आवंटन किया गया है। आवंटन के 34 वर्ष पश्चात् वादग्रस्त आराजी जिस पर कि अप्रार्थी संख्या 2 का निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जे आदि की जांच कर खातेदारी दी जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में खातेदारी आराजी को आवंटन नियम 14(4) में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान व परेशान कर बर्बाद करने की नियत से मुकदमे बाजी में उलझा कर प्रताड़ित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की अनुपस्थिति में मौके एवं तथ्यों के विरूद्ध रिपोर्ट की है। तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/17/2472 दिनांक 26.07.2017 में वादग्रस्त आराजी को वर्तमान में मौके पर खाली होना एवं किसी का कब्जा–काश्त नहीं होना अंकित किया है जो मौके से ठीक विपरीत है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2006 आज्ञा दिनांक 17.01.2011 द्वारा निरस्त किया जा चुका है अर्थात वादग्रस्त आराजी आज भी अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी है। राजस्व कारकूनान द्वारा मनमाने ढंग से राजस्व अपील प्राधिकारी की आज्ञा दिनांक 17.01.2011 की अनुपालना में राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं किया गया है जिसकी वजह से ही वादग्रस्त आराजी को अवैधानिक तरीके से सिवायचक दर्शाया हुआ है जबकि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे–काश्त की खातेदारी आराजी है। अतः प्रार्थना–पत्र 14(4) सारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे और आवंटन आज्ञा दिनांक 28.07.1970 को बहाल रखा जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक ने यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्राकृतिक पिता रतना है और प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने भी अप्रार्थी संख्या 2 के प्राकृतिक पिता रतना के होने का कथन किया है।

जिनकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 ग्राम–ठीकरिया मीणान् व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 जिसमें रतना की विरासत का नामान्तरकरण संख्या–81 दिनांक 02.06.1981 ग्राम ठीकरिया मीणान् लादू व सीताराम पिसरान रतना के नाम स्वीकार होने का इन्द्राज किया हुआ है। ग्राम–श्रीसम्पतपुरा की आराजी के खातेदार रतना की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 22.09.2016 सीताराम पि0 रतना के नाम स्वीकार किया गया है जबकि पत्रावली पर ऐसे कोई वैद्य दस्तावेजी अथवा अन्य कोई साक्ष्य नही है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी संख्या 2 को भूरा ने गोद लिया हो अथवा रीति–रिवाजानुसार भूरा का दत्तक पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 को स्वीकार किया गया हो। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से सीताराम का रतना का पुत्र होना स्पष्ट जाहिर है। सीताराम का भूरा के गोद जाने का अथवा विधिक उत्तराधिकारी होने का पत्रावली पर कोई सद्भाविक वैद्य दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक द्वारा किये गये कथन कि आवंटी सीताराम द्वारा अपनी वास्तविक वल्दियत को छिपाकर अन्य वल्दियत अर्थात भूरा का नाम अंकित करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अवैद्य रूप से आवंटन कराया गया है, की पुष्टि होती है। तहसीलदार, कोटखावदा ने भी अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/17/2472 दिनांक 26.07.2017 में अप्रार्थी संख्या 2 के प्राकृतिक पिता का नाम रतना मीणा होना पाया है। वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है और तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.07.2017 में वादग्रस्त आराजी को मौके पर खाली होना व किसी का कब्जा–काश्त नहीं होना अंकित किया है ऐसी स्थिति में आवंटन को बहाल रखा जाना विधिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्ण तरीके से आवंटन कराया गया है। अतः प्रारम्भ से शून्य आज्ञा को कभी भी चुनौती दी जाकर निरस्त कराया जा सकता है खातेदारी भी प्राप्त हुई है तो गलत तथ्यों के आधार पर अवैद्य रूप से प्राप्त हुई है जिसे वैद्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) बाबत् आवंटन आज्ञा दिनांक 28.07.1970 निरस्त करने, स्वीकार किया जाता है। आवंटन आज्ञा दिनांक 28.07.1970 बहक सीताराम पुत्र भूराराम, जाति–मीणा निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर